बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्सः– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेलः–ceo_bihar@eci.gov.in

अल्पकालीन निविदा हेतु आवश्यक शर्त्ते

विषयः– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार, 7, मैंगल्स रोड (सरदार पटेल मार्ग) अवस्थित नये भवन के कार्यालय परिसर/कक्षों की साफ–सफाई व्यवस्था हेतु अल्पकालीन निविदा।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के शेष अवधि के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड) के कार्यालय परिसर में अवस्थित नये भवन परिसर/कक्षों की साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है।

(अ) प्रतिदिन सफाई कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्यौराः–

1. फर्श, सीढ़ी, छतों की साफ–सफाई, धुलाई एवं पोंछा लगाया जाना है।
2. शौचालयों/यूरीनलों के फर्श तथा इसमें लगे वाश बेसिन/यूरीनल बेसीन की सफाई इस प्रकार की जानी है, कि काई दुर्गंध न रहे।
3. सभी प्रकार के लकड़ी के उपस्करों यथा– मेजों, कुर्सियों, रैक, मेजों के उपर रखे शीशे, विभिन्न प्रकार की आलमारियों तथा पार्टिशनों की सफाई की जानी है।
4. विभिन्न प्रकार के कार्यालय उपकरणों यथा– सूचना पट्ट, दीवाल घड़ी, टंकण मशीन, सोफा सेट, पर्दे अन्य सजावटी सामान, प्रिन्टर्स, कम्प्यूटर मॉनीटर्स, स्कैनर एवं अन्य प्रकार के कम्प्यूटर उपकरणों, वातानुकूलन यंत्रों तथा कूलर्स आदि की साफ–सफाई वैक्यूम क्लीनर द्वारा तथा अच्छे किस्म के डिटर्जेंट/क्लीनिंग एजेन्ट से की जानी है।
5. कार्यालय कक्षों में लगातार साफ–सफाई की जानी है। परिसर में कहीं भी मधुमक्खी के छत्ते, चूहा, छिपकली, मकड़ी के जाल एवं अन्य कीड़े–मकोड़े आदि पाये जाते हैं तो उसे हटाकर साफ–सफाई की जानी है।
6. सभी प्रकार के लकड़ी/अल्यूमीनियम/स्टील के दरवाजों, खिड़कियों तथा उनके शीशों की सफाई तथा पोंछाई (लिक्विड कीटनाशक डिटर्जेंट से) की जानी है।
7. विद्युत उपकरणों तथा स्विच बॉक्स, स्टेबलाईजर्स, पंखे, टयूब लाईट सेट एवं बल्ब इत्यादि पर लगी धूल आदि की तरल एवं सूखी सफाई करनी है।
8. पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण के दौरान साफ–सफाई में पायी गयी कमियों को तुरंत दूर करना होगा।
9. शौचालय के मोजेक टाईल्स की सफाई उपयुक्त डिटर्जेंट द्वारा करनी है।

(ब) कार्यालय में उचित रख–रखाव हेतु निविदादाता को निम्नलिखित सामग्रियों का प्रयोग करना है :–

10 तरल साबुन
10. फिनाईल
11. नेफ्थलीन बॉल
12. सफाई का पाउडर
13. एयर फ्रेशनर (ओडोनिल)
14. रूम फ्रेशनर
15. कपड़े का डस्टर
16. शीशा साफ करने वाला तरल पदार्थ जैसे– कॉलिन इत्यादि
17. पोंछा
18. फ्लोर वाईपर
19. टॉयलेट ब्रश
20. फूल–झाडू
21. डस्टबिन
22. यूरिनल क्यूब्स
23. अन्य जो सामग्री आवश्यक हो।

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त कार्य हेतु कम से कम तीन सफाई कर्मचारियों की सेवाएं कार्यालय कार्यदिवस/कार्यावधि में तथा कम से कम दो सफाई कर्मचारियों की सेवाएँ अवकाश दिवस/अवकाश अवधि में उपलब्ध करानी हैं।

(स) सामान्य शर्ते :–

24. कम्प्यूटर संबंधी कीमती उपकरण तथा अन्य उपकरण, फर्नीचर, किताबें, कालीन, पर्दे, सोफा इत्यादि कार्यालय में संधारित है जिनकी साफ–सफाई के दौरान कार्यालय की किसी सामग्री, या इसके अंश को किसी प्रकार की क्षति न हो, इसकी जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।

25. साफ–सफाई के दौरान विशेष ध्यान रखा जाना है कि कार्यालय के अभिलेख या अन्य किसी कागजात को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचे।

26. सफाई कार्य प्रतिदिन 9.30 बजे पूर्वाह्न के पूर्व (कार्यालय काल प्रारंभ होने के पूर्व) समाप्त कर लिया जाना है तथा सप्ताह के सभी दिनों, शनिवार एवं रविवार को भी पूर्णरूपेण किया जाना है। कार्यालय काल (अवकाश या अन्य दिनों में कार्यालय खुले रहने की पूर्ण अवधि सहित) में सफाई की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।

27. एक माह में सफाई कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री निविदादाता द्वारा इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी श्री आलोक कुमार, उप सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पर्यवेक्षण में भंडार में अग्रिम रखनी होगी।

28. कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी श्री आलोक कुमार, उप सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना से प्रत्येक माह कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरांत सफल निविदादाता को देय राशि का भुगतान किया जायेगा।

29. सफाई कार्य खराब होने या कार्य न किये जाने की स्थिति में भुगतान में कटौती की जायेगी। सफाई कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या सफाई कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रत्येक ऐसे दिवस के लिये मासिक भुगतान की 10% की राशि की कटौती की जायेगी। सात दिनों या उससे अधिक अवधि तक सफाई कार्य असंतोषजनक रहने या सफाई कार्य नहीं कराये जाने पर सफल निविदादाता को नोटिस दे कर एकरारनामा/कार्यादेश को रद्द किया जा सकेगा तथा प्रतिभूति की जमा राशि भी जब्त कर ली जायेगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा सफाई कार्य लगातार तीन दिनों तक नहीं किया जाता है तो उन्हें तत्काल नोटिस देकर उसकी निविदा रद्द की जा सकती है तथा प्रतिभूति की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

30. सफल निविदादाता से वित्तीय वर्ष 2019–20 के शेष अवधि के लिए एक वैध एकरारनामा संपादित किया जायेगा एवं प्रत्येक माह देय राशि का भुगतान सेवादाता फर्म द्वारा दिये गये विपत्र से नियमानुसार कटौतियों के साथ किया जायेगा।

31. कोई विवाद होने की स्थिति में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार (या प्रधान सचिव/सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार) का निर्णय अंतिम होगा।

32. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पास सुरक्षित है।

18/9/19

(रत्नेश झा)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner